पुराना रिकॉर्ड कम्प्यूटराइज्ड

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	5/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की न्यायालय पत्रावली सुनी गई। वास्ते आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 9/5/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)
	9/5/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभय पक्ष की बहस तथा पत्रावली का अवलोकन सोच पर आया मामा मूलवाद स्थायी घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का विचारणीय है जो शाक्ष्य सबूत के आधार पर निस्तारित किये जाने है इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23/7/14 को जारी अन्तरिम स्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक स्थायी किया जाना उचित समझते है। अतः प्रकरण में दिनांक 23/7/2014 को जारी अन्तरिम स्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक स्थायी (कन्फर्म) किया जाता है। पत्रावली फैसल कमार होकर मूलवाद के हमकिया रहे। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

(प्रतिलिपि)

(प्रतिलिपि)

(प्रतिलिपि)